

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवर.
	१३-२-२२	<p>पत्रावली माज पेरा डुई / लहरीपडा / राजकी/पेरा/ना के रिपोर्ट ६ घाट हो चुकी है। प्रजननात्मक मादा की में कोई विकास नहीं नही होना बरगदा है। आश्रीमा के द्वारा पूछने पर स्पष्ट होकर अपनी प्राप्ति की सुरक्षा व प्रकृति का हलकारा द्वारा सीव डाल करने के कारण कंपनी भूफि की सीमा निश्चयमकल वरखना पायी है जिफि जिफि यह पल्परगरी का अर्थना फर पेरा भिमा का काम है। ऊपर आश्रीमा का आश्रीमा वर ६ घाट पल्परगरी का सीकाट किया जाकर मादा की उमरा नम्बर $\frac{488}{0.55}$ / 101 $\frac{78}{0.10}$ / 475 $\frac{85}{0.25}$ वाले ग्राम श्युनापुरा व लहरीपडा का भुगतान सीमागत दिनांक ३०.६.२१ को प्रकृति का हलकारा को विधिपूर्वक प्रकृति भेजने पर उपस्थिति के दौरान पल्परगरी। सीमा - निश्चयकरण करने हेतु लहरीपडा था ह्युप को भादेशित किया जाता है। लहरीपडा शाहपुरा को भादेश करी है। पत्रावली दर्ज-डा दिनांक 12/3/22 को पेरा हो।</p>	
14/3/22		<p>पत्रावली माज राजस्थान के कलकत्ता के शाहपुरा के पेरा डुई प्रकृति में नही कोई कार्यवाही बरगदा नही होने से पत्रावली पेरा प्रकृति माज लहरीपडा कर रहे है।</p> <p>अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत</p> <p>उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान</p>	